

स्वच्छता के साथ शत प्रतिशत वैक्सीनेशन का संदेश दिया

स्वच्छ सर्वेक्षण—2022 के तहत डोर टू डोर कचरा निपटान के तरीके समझाए गए, शहर के अनेक स्थानों पर आकर्षक रांगोली के माध्यम से दिया स्वच्छता और वैक्सीनेशन का संदेश दिया

रतलाम 17 नवम्बर। आज के हालातों पर नजर डाले तो पता चलेगा कि अस्वच्छता के कारण लोग मौसमी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं वही कोविड-19 जैसी महामारी का खतरा भी अभी टला नहीं है। ऐसे में जरुरी है कि हम अपने घर के साथ ही आसपास की स्वच्छता पर भी पूरा ध्यान दे और कोविड से बचाव के लिए लगाए जा रहे टीकों का उपयोग समय रहते कर ले। जिला प्रशासन व नगर निगम के सहयोग से शहर के तमाम स्थानों पर टीकाकरण केन्द्र खोले गए, वही महाअभियान भी चलाया जा रहा है। ऐसे में सभी को इस सुविधा का लाभ बढ़ाव देना चाहिए।

उक्त विचार नगर निगम आयुक्त ने बुधवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत चल रहे स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रमों के तहत शहर में आयोजित विभिन्न गतिविधियों के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत भी लोगों को टीकाकरण के प्रति उत्साहित करने के लिए आव्हान किया है। इस दौरान सफाई मित्र समूह ने टीकाकरण केन्द्रों व शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर रांगोलियों के माध्यम से स्वच्छता बनाए रखने और वैक्सीनेशन का संदेश आमजन को दिया और टीकाकरण के लिए लोगों को डोर टू डोर प्रेरित भी किया है।

इस मौके पर श्री झारिया ने कहां कि पिछले कुछ महीनों के दौरान हर तरफ जैसे—जैसे लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करके, पांचदियां हटाई जा रही हैं, वैसे—वैसे लोगों की दिलचस्पी कोविड-19 के आंकड़ों से कम होती जा रही है। फिर चाहे बात नए संक्रमणों की हो, रिकवरी की या इस महामारी से मौत की हो। ऐसे में जरुरी है कि लोगों की दिलचस्पी और उत्सुकता कोविड-19 के तमाम टीकों में बढ़ाई जाए ताकि जिनकी मदद से इस जानलेवा महामारी से बचा जा सकता है।

इस मौके पर श्री झारिया ने कहां कि इस महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर डाला है। लोगों की रोज़ी—रोटी पर गहरा असर पड़ा है। टीकाकरण लोगों की जान बचा पाने में काफ़ी हद तक सफल रहा है। ऐसे में जरुरी है कि प्रत्येक पात्र नागरिक कोविड से बचाव वाली वैक्सीन के सभी डोज लगवाए, ताकि हमारा शहर स्वच्छता के साथ ही स्वस्थ्य भी रहे।

श्री झारिया ने नागरिकों से आव्हान किया है कि घर और दुकानों से निकले कचरे का निपटान कचरा संग्रहण वाहन के अलग—अलग हिस्सों में ही करें। स्वच्छता के प्रति नागरिकों की जागरूकता जरुरी है तभी हम अपने शहर को देश में स्वच्छता के मामले में नम्बर-1 बना पाएंगे, इसी के साथ वैक्सीनेशन के मामले में भी शत प्रतिशत टीके लगवा कर रतलाम का गौरव बढ़ाए।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोंलकी, झोन अधिकारी ए.पी.सिंह, किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान सहित सफाई मित्र समूह के सदस्य आदि उपस्थित रहे।

खुले में गंदगी करने पर 7 व्यक्तियों पर जुर्माना

गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 17 नवम्बर। कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 17 नवम्बर को 7 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर कुलदीप चौहान चांदनी चौक पर 1000, अजय कुमार मिश्रा ग्लोबस कालोनी पर 500, जासमीन चूड़ीवाला जावरा रोड पर 250, कन्हैयालाल घांस बाजार, महावीर चाय वाला चौमुखी पुल पर 100-100 व भोलेनाथ नाशता पाईट ट्रिपोलिया गेट पर 50 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाई दी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931, श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932, श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145, श्री विराट मेहरा 9770326691, स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिंदे मो.नं. 9424075393, 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

साजिद हुसैन को निलंबित किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

रतलाम 17 नवम्बर। नगर निगम के भूत्य साजिद हुसैन द्वारा बिना सूचना के 13 नवम्बर से अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार अनुपस्थित दिवसों का वेतन काटा जाकर निलंबित किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

साजिद हुसैन भूत्य की ड्यूटी 12 नवम्बर से नगर निगम कार्यालय की पहरेदारी हेतु प्रातः 6 से दोपहर 2 बजे तक लगाई गई थी किन्तु साजिद हुसैन 13 नवम्बर से बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने के कारण अनुपस्थित दिवसों का वेतन काटा जाकर निलंबित किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

मित्र निवास रोड फुटपाथ से फुट विक्रेताओं को हटाया

रतलाम 17 नवम्बर। शहर के मुख्य मार्गों, फुटपाथ आदि पर गुमटियां, ठेले, अन्य साम्रगी रखकर अतिक्रमण करने वालों पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 17 नवम्बर बुधवार को अतिक्रमण दल ने कार्यवाही करते हुए मित्र निवास रोड फुटपाथ से 8 फुट विक्रेताओं को हटाया।

17 नवम्बर को 68 टन से ज्यादा कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 17 नवम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़कों व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 17 नवम्बर बुधवार को 68 टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

17 नवम्बर बुधवार को डम्पर से 23475, ट्रेक्टर से 7540, काम्पेक्टर सूखा कचरा 21150 व काम्पेक्टर गीला कचरा 16220 किलो इस तरह कुल 68385 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

4276 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें वार्डवार केन्द्रों व घर—घर जाकर किया जा रहा है सत्यापन

रतलाम 17 नवम्बर। रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों द्वारा घर—घर जाकर व वार्डवार बनाये गये केन्द्रों पर किया जा रहा है जिसके तहत 15 नवम्बर सोमवार तक 4276 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

नगर निगम द्वारा पेंशन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों को आवश्यक दस्तावेज बीपीएल राशन कार्ड, समग्र आईटी, बैंक खाते की पास बुक, निवासी, जन्म, आयु, चिकित्सक, निःशक्तता, आयकर दाता ना हो, पति की मृत्यु का प्रमाण—पत्र, अंक सूची, मतदाता सूची, मतदाता परिचय—पत्र, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत जारी जाब कार्ड, उपलब्ध कराकर या वार्डवार बनाये केन्द्र वार्ड 1 अम्बेडकर मांगलिक भवन गांधी नगर, वार्ड 2 रामकला सभागृह लक्ष्मणपुरा, वार्ड 3 राठौड़ समाज धर्मशाला, वार्ड 4 महर्षी दयानन्द वैदिक विद्यालय, वार्ड 5 गुरु रामदास स्कूल विनोबा नगर, वार्ड 6 मार्निंग स्टार स्कूल इंदिरा नगर, वार्ड 7 अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, वार्ड 8 संतनामदेव पब्लिक स्कूल विनोबा नगर, वार्ड 9 साई ऐकेडमी स्कूल 80 फीट रोड, वार्ड 10 सिंधी गुरुद्वारा मोहन नगर, वार्ड 11 बोधी स्कूल डोंगरे नगर, वार्ड 12 सुमंगल गार्डन कस्तुरबा नगर, वार्ड 13 अम्बेडकर कम्युनिटी हॉल जवाहर नगर, वार्ड 14 सरस्वती स्कूल काटजू नगर, वार्ड 15 मांगलिक भवन सुभाष नगर, वार्ड 16 काश्यप सभागृह सागोद रोड, वार्ड 17 उत्कृष्ट स्कूल सागोद रोड, वार्ड 18 शांति निकेतन टाटा नगर, वार्ड 19 राधाकृष्ण प्राथमिक विद्यालय दीनदयाल नगर, वार्ड 20 सरस्वती स्कूल अमृत सागर, वार्ड 21 नरसिंह वाटिका सिलावटो का वास, वार्ड 22 मानस भवन मोती नगर, वार्ड 23 ज्योति कान्वेंट स्कूल बाजाली नगर, वार्ड 24 सब्जी फिरोस जमातखाना सायर चबुतरा, वार्ड 25 सगरवंशी माली समाज धर्मशाला, वार्ड 26 संतमीरा स्कूल थावरिया बाजार, वार्ड 27 जमातखाना शैरानीपुरा, वार्ड 28 मांगलिक भवन दिलीप नगर, वार्ड 29 डीआरपी लाईन आनन्द कालोनी, वार्ड 30 काजीखान की मस्जिद जावरा रोड, वार्ड 31 शासकीय प्राथमिक स्कूल डोसीगांव, वार्ड 32 उजाला पैलेस स्टेशन रोड, वार्ड 33 लायंस हॉल पावर हाउस रोड, वार्ड 34 रोटरी हॉल अजंता टॉकिज रोड, वार्ड 35 मेंहदीकुई बालाजी नगर निगम, वार्ड 36 कान्वेंट स्कूल मित्र निवास रोड, वार्ड 37 लॉ कॉलेज आनन्द कालोनी, वार्ड 38 जमातखाना शैरानीपुरा, वार्ड 39 शासकीय प्राथमिक स्कूल शैरानीपुरा, वार्ड 40 श्रीमाली धर्मशाला, वार्ड 41 मोहन टॉकिज, वार्ड 42 माहेश्वरी धर्मशाला कसारा बाजार, वार्ड 43 गणेश मांगलिक भवन रामबाग, वार्ड 44 बोहरा कम्युनिटी हॉल बोहरा बाखल, वार्ड 45 शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल माणक चौक, वार्ड 46 आईएमए हॉल राजेन्द्र नगर, वार्ड 47 मदरसा तालीमुल कुरआन नयापुरा हाट रोड, वार्ड 48 सूरजहॉल वेदव्यास कालोनी, वार्ड 49 सिखवाल धर्मशाला ब्राह्मणों का वास तथा नगर निगम के आईटी सेल में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

नगर निगम द्वारा अब तक 7564 आयुष्मान कार्ड बनाये गये

निगम के आईटी सेल में हितग्राही बनवायें आयुष्मान कार्ड

रतलाम 17 नवम्बर। आयुष्मान भारत “निरामयम्” योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क बनाने का कार्य नगर निगम के आईटी सेल कार्यालय में कार्यालयीन समय में बनाये जा रहे हैं जिसके तहत 1 अक्टूबर से 17 नवम्बर तक 192 हितग्राहियों के कार्य बनाये जा चुके हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि गरीब एवं असहाय परिवारों पर बीमारियों पर खर्च होने वाले आर्थिक बोझ एवं गुणवत्तापूर्वक इलाज समय पर उपलब्ध कराये

जाने हेतु आयुष्मान भारत “निरामयम्” योजना के तहत नगर के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नगर निगम के विकास शाखा स्थित आईटी सेल में बनाये जा रहे हैं। नगर निगम विकास शाखा स्थित आईटी सेल में नियक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा 41 दिनों में 192 हितग्राहियों के कार्य बनाये जा चुके हैं। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों व उचित मूल्य की दुकानों पर 7316 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 7564 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया है कि रतलाम नगर के शेष रहे हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाये जाना है। पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार सदस्यों का पंजीयन किये जाने हेतु आधार कार्ड व समग्र आईडी दस्तावेज के रूप में लिये जावें।

2105 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 30 हितग्राही हुए लाभान्वित पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 17 नवम्बर। नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2025 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/- तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 80 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 40 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही 15 हजार रुपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 17 नवम्बर। शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलों के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलों को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव निरंतर जारी

रतलाम 17 नवम्बर। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक झान में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार प्रत्येक झान में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा रूट चार्ट अनुसार सुबह 05:30 से 08:00 बजे तक व शाम को 06:00 से रात 10:00 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक-एक हैण्ड स्प्रे मशीन से भी कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 17 नवम्बर। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 17 नवम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 17 नवम्बर। स्वच्छ सर्वेक्षण—2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर—1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले—नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले—नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ—सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्ड में साफ—सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/17.11.2021/न.पा.निगम, रतलाम.